न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/50/2017 वाद — दायर दिनांक 03.07.2017

उनवान

1. नाथुपुरी पिता रामपुरी गुसाई, आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	1. भेरु पुरी पिता शंकरपुरी गुसाई आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 2. डालु पिता छोगापुरी गुसाई आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 3. माधु पिता छोगापुरी गुसाई आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 4. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री अनिल नामधर — –वादी

एकतरफा — –प्रतिवादी सं0 1 से 3

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः **18.07.2024**

–:निर्णयः–

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बेरुनी में आराजी नम्बर 1768 रकबा 0.11 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1769 रकबा 0.12 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1771 रकबा 0.41 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1772 रकबा 0.41 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1773 रकबा 0.42 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1774 रकबा 0.21 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1775 रकबा 0.22 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1777 रकबा 0.29 हैक्ट0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.19 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे वादी एंव प्रतिवादीगण नं0 1–2–3 के नाम संयुक्त दर्ज है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा है व प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 2–3 का 1/3 हिस्सा है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात का पक्षकारान ने मौके पर मौखिक बटवाड़ा आज से करीब 40 साल पहले कर मौके पर अलग अलग काबिज है जो वादी के पिता एंव प्रतिवादी नं0 1 के पिता ने व प्रतिवादी नं0 2–3 के दादाजी ने किया था तब से अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिससे मौके पर आराजी [illegible] 1771 रकबा 0.41 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1777 रकबा 0.29 हैक्ट0, पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त आराजीयात का कानुनी विभाजन नहीं है जिससे कम ज्यादा [illegible] कब्जे में है व काश्त करते समय मेरो से घास काटते समय व [illegible]गान अदा करते समय आपस में विवाद होता रहता है जिससे जैर बहस आराजीयात का मौके पर कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बॉण्डस

मे विभाजन कराया जाकर अलग खाताबन्दी अलग लगानबन्दी कराया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा वादी के नाम अलग खाताबन्दी अलग लगान बन्दी से दर्ज कराया जावे।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण नं0 1–2–3 को दिनाक 15–3–2017 को जैर बहस आराजीयात का विभाजन कराने बाबत कहा तो टालमटोल का जवाब दिया अतः बिनाय दावा पैदा हुयी जिसकी शुरूआत दिनाक 15–3–2017 से होकर निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि–

1. बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण विभाजन की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात का विभाजन कराया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा कब्जे अनुसार तन्हा वादी के नाम अलग लगानबन्दी अलगखाता बन्दी से दर्ज कराया जावे।
2. हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील दिलाया जावे।
3. अन्य दाद मुफिद जो वादी हो दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 25.10.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 25.10.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 18.07.2024 से शा0फा0 की गयी। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 18.07.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बेरुनी में आराजी नम्बर 1768 रकबा 0.11 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1769 रकबा 0.12 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1771 रकबा 0.41 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1772 रकबा 0.41 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1773 रकबा 0.42 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1774 रकबा 0.21 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1775 रकबा 0.22 हैक्ट0, 1776 रकबा 0.05 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1777 रकबा 0.29 हैक्ट0, 1791 रकबा 0.07 हैक्ट0, कुल किता 10 कुल रकबा 2.31 हैक्ट0 स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 06.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. डालुपुरी, माधुपुरी पिता छोगापुरी 1/3 जाति गुसाई, भेरूपुरी पिता शंकरपुरी 1/3 जाति गुसाई, नाथूपुरी पिता रामपुरी 1/3 जाति गुसाई सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1771/2	0.0112	चाही 1
2	1772/2	0.0140	चाही 1
3	1774/1	0.0[illegible]	चाही 1
4	1776	0.[illegible]00	आ0चा0
5	1791	0.07[illegible]	रास्ता
योग	कुल किता–05	0.160[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. डालुपुरी, माधुपुरी पिता छोगापुरी 1/2 जाति गुसाई, भेरूपुरी पिता शंकरपुरी 1/2 जाति गुसाई, सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1768	0.1100	चाही 1
2	1769	0.1200	चाही 1
3	1772/1	0.3960	चाही 1
4	1773	0.4200	चाही 1
5	1774/2	0.1950	चाही 1
6	1775/1	0.1922	चाही 1
योग	कुल किता–06	1.4332	

3. नाथूपुरी पिता रामपुरी हिस्सा पूर्ण जाति गुसाई सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	1771/1	0.3988	चाही 1
2	1775/2	0.0278	चाही 1
3	1777	0.2900	चाही 1
योग	कुल किता–03	0.7166	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:50:10 IST
Reason: SelfAttested